



दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHIN/2018/76480

Postal Registration No-055/Raigarh DN CG

रायगढ़, शनिवार, 09 अप्रैल 2022

पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए

वर्ष-04, अंक- 190

महत्वपूर्ण एवं खास

आवश्यक रेल लाइन मरम्मत कार्य हेतु कोतरा रोड फाटक 15, 16, 22 व 23 अप्रैल को रहेगा बंद

रायगढ़। सहायक मण्डल अभियंता द.पू.मं.रेलवे रायगढ़ के वरिष्ठ सहायक मण्डल अभियंता ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 अप्रैल को रात 9 बजे से 16 अप्रैल को प्रातः 7 बजे तक तथा 16 अप्रैल रात 9 बजे से 17 अप्रैल प्रातः 7 बजे तक एवं 22 अप्रैल को रात 9 बजे से 23 अप्रैल को प्रातः 7 बजे तक एवं 23 अप्रैल को रात 9 बजे से 24 अप्रैल को प्रातः 7 बजे तक रायगढ़ व किरोड़ीमलनगर के बीच स्थित कोतरा मानवयुक्त समपा फाटक क्रमांक-289, कि.मी.-588/14 में आवश्यक रेल लाइन के मरम्मत कार्य हेतु सड़क यातायात के लिए बंद रहेगा। जनसामान्य उक्त अवधि में जिनके अंदर पास के नीचे की सड़क का उपयोग कर सकते हैं।

आसाराम बापू के आश्रम में कार से लडकी का मिला शव, 4 दिनों से थी लापता, पुलिस ने सील किया आश्रम

गोंडा (आरएनएस)। यूपी के गोंडा स्थित आसाराम बापू के आश्रम में खड़ी एक कार से लडकी का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। शव की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह लडकी अपने घर से 4 दिन पहले गायब हो गई थी, जिसका शव आसाराम बापू के आश्रम में कई दिनों से खड़ी कार से मिला है। कार के अंदर से दुर्गाधने पर आश्रम के कर्मचारी ने गाड़ी खोलकर देखा तो उसके अंदर से शव बरामद मिला, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार के अलावा पूरे आश्रम को सील कर दिया है और जांच में जुट गई है। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में हत्या का शव को छिपाए जाने का मामला लग रहा है। घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के बिमौर गांव में स्थित आसाराम बापू के आश्रम की है, जहां यह कार नीचे कई दिनों से खड़ी थी। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम आश्रम और गाड़ी की जांच कर रही है।

दिल्ली मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर गर्भवती महिला ने दिया बच्चे को जन्म, सीआईएसएफ कांस्टेबल ने की मदद

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दिया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की एक महिला कांस्टेबल ने नई दिल्ली के आनंद विहार मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक गर्भवती महिला को उसके बच्चे को जन्म देने में मदद की। सीआईएसएफ ने कहा कि मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म तीन पर मेट्रो का इंतजार करते समय महिला यात्री को प्रसव पीड़ा हुई। इसमें कहा गया कि शिफ्ट प्रभारी के निर्देश पर सीआईएसएफ की कांस्टेबल अनामिका कुमारी तुरंत मौके पर पहुंची। एक बयान में कहा गया है कि अन्य महिला यात्रियों की मदद से उन्होंने प्रसव पीड़ा में महिला को प्लेटफॉर्म पर ही बच्चे को जन्म देने में मदद की। इसके बाद महिला और उसके नवजात को पंजुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। बयान में कहा गया है कि मां बनी महिला और उनके पति ने महत्वपूर्ण समय के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया और आवश्यक सहायता के लिए सीआईएसएफ कर्मियों को धन्यवाद दिया।

नीति आयोग 11 अप्रैल को राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जारी करेगा

नई दिल्ली (आरएनएस)। नीति आयोग 11 अप्रैल 2022 को राज्य ऊर्जा तथा जलवायु सूचकांक राउंड-1 जारी करेगा। सूचकांक नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार जारी करेंगे। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी के सारस्वत तथा सीईओ अमिताभ कांत, विभिन्न सरकारी विभागों के सचिव और ऊर्जा क्षेत्र के हितधारक उपस्थित रहेंगे। राज्य ऊर्जा तथा जलवायु सूचकांक (एसईसीआई) राउंड-1 का उद्देश्य 6 मानकों पर राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग करना है। इन मानकों में (1) बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉ) का कार्य प्रदर्शन, (2) ऊर्जा की पहुंच, वहनीयता तथा विश्वसनीयता, (3) स्वच्छ ऊर्जा पहल, (4) ऊर्जा दक्षता, (5) पर्यावरण निरंतरता तथा (6) नई पहलें शामिल हैं।

पीएमएमवाई के ऋण खातों की संख्या 34.42 करोड़ हुई

नई दिल्ली (आरएनएस)। वित्तीय समावेश के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) की शुरुआत की गयी थी। हम इस योजना की 7वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आइए हम इस योजना की कुछ प्रमुख बातों और उपलब्धियों पर एक नजर डालें। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 अप्रैल, 2015 को पीएमएमवाई का शुभारम्भ किया था, जिसका उद्देश्य गैर-कॉर्पोरेट व गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा प्रदान करना था।

योजना की 7वीं वर्षगांठ के अवसर पर केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा, उल्लेखनीय है कि आज सृजन गतिविधियों के निर्माण के लिए ऋण/योजना के तहत कुल 18.60 लाख करोड़ रुपये की धनराशि के लिए 34.42 करोड़ से अधिक ऋण खाते खोले गए हैं। पीएमएमवाई के माध्यम से कारोबारी माहौल में सुधार और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों के बारे में वित्त

मंत्री ने कहा, योजना ने विशेष रूप से छोटे व्यवसायों के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने में मदद की है और जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा किये हैं। 68 प्रतिशत अधिक ऋण खाते, महिलाओं के लिए स्वीकृत किये गए हैं और 22 प्रतिशत ऋण नए उद्यमियों को दिये गए हैं, जिन्होंने योजना की शुरुआत के बाद से अब तक ऋण नहीं लिए हैं।

सभी मुद्रा लाभार्थियों को बधाई देते हुए और अन्य संभावित उधार लेने वालों से आगे आने तथा राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने का आग्रह करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा, अब तक स्वीकृत कुल ऋणों में से 51 प्रतिशत ऋण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी श्रेणी समुदाय को दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के प्रयास का प्रतिनिधित्व करती है तथा संक्षेप में 'सबका साथ, सबका विकास' भावना की सच्ची प्रतीक है, जो माननीय प्रधानमंत्री के



विजय के अनुरूप है।

इस अवसर पर केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड ने कहा की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) शुरू करने के पीछे की प्रेरक शक्ति सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को पेशानी मुक्त/निर्बाध तरीके से संस्थागत ऋण प्रदान करना है। अपनी शुरुआत के बाद से, पिछले सात वर्षों में, कुल 34.42 करोड़ खाताधारकों को सहायता प्रदान करते हुए यह योजना उसाही उद्यमियों को सफलतापूर्वक सबका विकास भावना की सच्ची प्रतीक है, जो माननीय प्रधानमंत्री के

विजय के अनुरूप है। इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करने वाले कई उद्यमी समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस योजना के तहत सबसे बड़ा लाभार्थी समूह महिलाओं का है। इस योजना के तहत खोले गए ऋण खातों में से 68 प्रतिशत से अधिक खाते महिलाओं के हैं। इस योजना के अंतर्गत चलाए गए विशेष अभियान ने भी महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए संभावित ऋणकर्ताओं तक पहुंचने में मदद की है। पीएमएमवाई का अन्य उल्लेखनीय फोकस नीति आयोग द्वारा चिन्हित किए गए 'आकांक्षी जिलों' में अधिक से अधिक संख्या में लाभार्थियों को ऋण प्रदान करना है और इस प्रकार ऋण से वंचित इन जिलों में ऋण के प्रवाह को अनुकूल बनाया है, वित्त राज्यमंत्री डॉ. कराड ने कहा।

देश में वित्तीय समावेश (एफआई) कार्यक्रम का कार्यान्वयन तीन स्तंभों पर आधारित है, अर्थात्, बैंक की सुविधा से वंचित लोगों को बैंकिंग सुविधा देना, असुरक्षित ऋण को सुरक्षित बनाना और वित्तीय सुविधा से वंचित लोगों को वित्तीय सुविधा देना। इस कार्यक्रम के तहत, प्रौद्योगिकी की मदद से और विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाकर इन तीन उद्देश्यों को पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं और इसके साथ ही जरूरी सुविधाओं से वंचित लोगों को सहायता भी प्रदान की जा रही है।

एफआई के तीन स्तंभों में से एक- वित्तीय सुविधा से वंचित लोगों को वित्तीय सुविधा देना- पीएमएमवाई के माध्यम से एफआई इकोसिस्टम में परिलक्षित होता है। छोटे उद्यमियों को ऋण-सुविधा देने के उद्देश्य से इस योजना को लागू किया गया है। अपनी विभिन्न पहलों के माध्यम से; पीएमएमवाई योजना, उभरते उद्यमियों से लेकर मेहनती किसानों तक- सभी हितधारकों

की वित्तीय जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करती है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) वंचित और सामाजिक-आर्थिक रूप से उपेक्षित समुदाय को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसने लाखों लोगों को सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने की ताकत दी है और लोगों में आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की भावना का संचार किया है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) की प्रमुख बातें:

पीएमएमवाई के तहत सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) अर्थात् बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), लघु वित्तीय संस्थान (एमएफआई), अन्य वित्तीय मध्यस्थों आदि के माध्यम से 10 लाख रुपये तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। ऋण तीन श्रेणियों- 'शिशु', 'क्रिशोर' और 'तरुण' में प्रदान किये जाते हैं, जो कर्ज लेने वाले के उद्यम के सन्दर्भ में विकास-चरण और वित्त पोषण की जरूरतों को दर्शाते हैं।

शिवसेना नेता यशवंत जाधव के खिलाफ आईटी डिपार्टमेंट का एक्शन, 5 करोड़ के फ्लैट समेत 41 संपत्तियां जब्त

मुंबई (आरएनएस)। आयकर विभाग ने शिवसेना नेता और बीएमपी की स्थायी समिति के अध्यक्ष यशवंत जाधव की करीब 41 संपत्तियां कुर्क की हैं। जो संपत्तियां जब्त की गई हैं, उनमें बांद्रा में 5 करोड़ रुपये का एक फ्लैट भी शामिल है। इसके अलावा भायखला में 31 फ्लैट और बांद्रा में 5 करोड़ के दो फ्लैट शामिल हैं। जाधव पर यह कार्रवाई टैक्स चोरी को लेकर की गई है। आयकर विभाग की यह पिछले एक साल में सबसे बड़ी कार्रवाई है। अधिकारियों को जाधव के बीएमपी की स्थायी समिति के अध्यक्ष होने के दौरान सभी संपत्तियों के अधिग्रहण का संदेह है। विभाग के सूत्रों ने बताया कि कुर्क की गई संपत्तियां यशवंत जाधव, उनके परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों के नाम पर पंजीकृत हैं। एक होटल का नाम शिवसेना विधायक और जाधव की पत्नी यमिनी जाधव की मां सुनंदा मोहिते के नाम पर रखा गया है।

विभाग ने शिवसेना नेता विलास मोहिते और विनीत जाधव के करीबी सहयोगियों को अपना बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया था, लेकिन उनमें से कोई भी पेश नहीं हुआ। सूत्रों ने बताया कि विलास मोहिते यशवंत जाधव की बीएमपी के काम की देखरेख करते थे, जबकि विनीत जाधव बिमल अग्रवाल की कंपनी न्यूजहॉक मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे। कुछ दिन पहले ही जांच के दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों को एक डायरी मिली थी, जिसमें संदिग्ध ट्रांजेक्शन की बात सामने आई है। अधिकारियों का कहना है कि इस डायरी में दो ऐसी ट्रांजेक्शन मिली हैं, जिनसे संदेह पैदा होता है। अधिकारियों ने कहा कि 50 लाख रुपये की एक घड़ी और 2 करोड़ रुपये का एक अन्य गिफ्ट मातोश्री को दिया गया है। मातोश्री उद्धव ठाकरे का आवास है, जो मुंबई के बांद्रा में स्थित है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन के विस्तार को मंजूरी दी

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) को मार्च 2023 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। एआईएम देश में एक नवाचार की संस्कृति और उद्यमशीलता से संबंधित इकोसिस्टम विकसित करने के अपने अभीष्ट लक्ष्य पर काम करेगा। एआईएम द्वारा यह काम अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाएगा। एआईएम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अभीष्ट लक्ष्य हैं: 10,000 अटल टिकॉग लैब (एटीएल) की स्थापना करना, 101 अटल इन्क्यूबेशन सेंटर (एआईसी) की स्थापना करना, 50 अटल कन्युनिटी इनोवेशन

सेंटर (एसीआईसी) की स्थापना करना और अटल न्यू इंडिया चैलेंज के माध्यम से 200 स्टार्टअप को सहायता प्रदान करना। उपरोक्त सेंटरों की स्थापना और लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने की इस प्रक्रिया में कुल 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का निर्धारित बजट खर्च किया जाएगा। अटल इनोवेशन मिशन को माननीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2015 के बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुरूप नीति आयोग के तहत स्थापित किया गया है। एआईएम का मुख्य उद्देश्य स्कूल, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थानों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और उद्योगों के स्तरों पर विभिन्न उपायों

के माध्यम से देश भर में नवाचार और उद्यमिता का एक इकोसिस्टम बनाना और उसे बढ़ावा देना है। एआईएम ने बुनियादी ढांचे के निर्माण और संस्थानों निर्माण, दोनों पर ध्यान केंद्रित किया है। जैसा कि निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट है, एआईएम ने राष्ट्रीय और वैश्विक, दोनों स्तर पर नवाचार से जुड़े इकोसिस्टम को एकीकृत करने की दिशा में काम किया है: • एआईएम ने नवाचार और उद्यमिता के मामले में सहक्रियात्मक सहयोग विकसित करने के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ द्विपक्षीय संबंध बनाए हैं जिनमें रूस के साथ एआईएम-एसआईआरआईयूस छात्र नवाचार विनियम कार्यक्रम, डेनमार्क के साथ

एआईएम- आईसीडीके (इनोवेशन सेंटर डेनमार्क) वाटर चैलेंज और ऑस्ट्रेलिया के साथ आईसीडी (ईडिया ऑस्ट्रेलियन सर्कुलर इकोनॉमी हैकार्थॉन) शामिल हैं। एआईएम ने भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित एक इनोवेशन स्टार्टअप समिट, इन्फो-न्योर, की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एआईएम ने रक्षा नवाचार संभटन, जोरिका रक्षा के क्षेत्र में नवाचार के साथ-साथ खरीद को बढ़ावा दे रहा है, की स्थापना के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ भागीदारी की। पिछले कुछ वर्षों में, एआईएम ने देश भर की नवाचार की गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करने के लिए काम किया है।

मानव तस्करी रैकेट का हुआ भंडाफोड़, पुलिस ने 17 महिलाओं को बचाया, सात आरोपी गिरफ्तार

बेंगलुरु (आरएनएस)। कर्नाटक पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में 7 लोगों को गिरफ्तार कर मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। सिटी क्राइम ब्रांच (सीसीबी) के अधिकारियों ने 17 महिलाओं को बचाया है, जिन्हें दुबई ले जाने के लिए तैयार किया गया था। पुलिस ने 95 महिलाओं को दुबई भेजे जाने की जानकारी एक 1 की है और 17 पासपोर्ट जब्त किए हैं। ये आरोपी शख्स युवक-युवतियों को लाखों रुपये प्रति माह की मोटी कमाई का लालच देकर जालसाजी करते थे। वे इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों में काम करने वाली लड़कियों को भी लुभाते थे। आरोपियों ने 50,000 रुपये एडवांस रुपये के तौर पर मुहैया कराए और उन्हें दुबई का वीजा दिलाने में मदद की और वहां भेज दिया।



गिरोह ने कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब राज्यों की महिलाओं को भी निशाना बनाया है। आरोपी के दुबई में ड्राइव करने के लिए मजबूर किया जाता था। गिरोह में फंसने वाले पीड़ितों में से एक

के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद में ड्राइव करने के लिए मजबूर किया गया। अगर लड़कियां ऐसा करने से मना करती हैं तो उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। पीड़ितों से तत्काल एडवांस रुपये लौटाने को कहा गया। लेकिन लड़कियों के पास रुपये नहीं होने के कारण उन्हें नौकरी जारी रखने के लिए मजबूर किया जाता था। गिरोह में फंसने वाले पीड़ितों में से एक

ने बेंगलुरु के हेनर पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे आगे की जांच के लिए सीसीबी को सौंप दिया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को कर्नाटक से और 4 को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान कोपल के एक जूनियर कलाकार बसवराजू डॉसरा आदर्श उर्फ आदि (28), तमिलनाडु के सलेम के राजेंद्र नरिसुट्टु (32), चेन्नई के एक कलाकार एजेंट मरियमपन (44), बेंगलुरु से चंदू (20), पांडिचेरी से टी अशोक (29) और तमिलनाडु के तिरुवल्लूर से एस राजीव गंधी (35) के रूप में हुई है। आगे की जांच जारी है।

गुवाहाटी (आरएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य के पुलिस अधिकारियों को चेतावनी दी कि निचले रैंक के पुलिस अधिकारियों को निजी काम लगाने पर उन्हें अपनी तरफ से वेतन का भुगतान करना होगा, क्योंकि सरकार जल्द ही उनका वेतन बंद कर देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आरोप हैं कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने विभिन्न सशस्त्र बटालियनों के कर्मियों को निजी और घरेलू कामों में लगाया है। सरमा के पास गृह विभाग भी है। उन्होंने कहा, मैंने सशस्त्र बटालियनों के कमांडेंट और विभिन्न जिलों के पुलिस अधीक्षक से 10 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट

और जानकारी देने के लिए कहा है। अगर इस तरह की प्रथा जारी रही, तो संबंधित पुलिस अधिकारियों को इन पुलिसकर्मियों के वेतन का भुगतान करना होगा। और सरकार इनका भुगतान नहीं करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून और व्यवस्था और सरकारी कर्तव्यों को बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाती है। असम कैबिनेट ने पहले फैसला किया था कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए एक व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) को मुख्य सुरक्षा समीक्षा के आधार पर और संवैधानिक पदों पर रहने वालों के लिए तैनात किया जाएगा।

कैबिनेट ने गैर-परिचालन वाले कोयला खदानों को वापस करने के लिए वन-टाइम विंडो देने की मंजूरी दी

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज कोयला मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बिना किसी जुर्माने (बैंक गारंटी की जन्ती) और बिना कोई कारण बताए गैर-परिचालन वाली खदानों को सरकार को वापस करने के लिए वन-टाइम विंडो देने का प्रावधान है। इस फैसले से कई कोयला खदानों सरकार को वापस मिल सकती हैं, जिन्हें वर्तमान में आवंटन प्राप्त सरकारी पीएसयू विकसित करने की स्थिति में नहीं हैं या इस कार्य में उनकी कोई रुचि नहीं है तथा वर्तमान नीतामी नीति के अनुसार उनकी नीतामी की जा सकती है। आवंटन प्राप्त सरकारी



कम्पनियों को खदान वापस करने की स्वीकृत नीति के प्रकाशन की तिथि से तीन माह में कोयला खदानों को वापस करने का समय दिया जाएगा। 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोयला ब्लॉकों को रद्द करने के बाद, ताप

विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में तात्कालिक व्यवधान को रोकने के लिए सरकार ने आवंटन के जरिये राज्य और केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को कई रद्द किए गए कोयला ब्लॉक आवंटित किए थे। आवंटन का काम तेजी से किया गया

और यह उम्मीद की गयी कि राज्य विद्युत उत्पादन कंपनियों को कोयले की आवश्यकता उन ब्लॉकों से पूरी हो जाएगी। राज्य/केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा देय राजस्व की हिस्सेदारी, प्रति टन के आधार पर तय की गयी, जबकि निजी क्षेत्र को इसके लिए बोली लगानी होती है। उस समय के कोयला ब्लॉकों के आवंटन के संदर्भ में, कोयला ब्लॉकों के परिचालन के लिए समय-सीमा की शर्तें बहुत कठोर थीं और सफल आवंटनी या नामित प्राधिकारी के लिए छूट की कोई संभावना नहीं छोड़ी गई थी। कोयला खदानों के परिचालन में देरी के लिए

दंड के परिणामस्वरूप विवाद हुए और अदालती मामले सामने आए। दिसंबर-2021 तक, सरकारी कंपनियों को आवंटित 73 कोयला खदानों में से 45 खदानें गैर-परिचालन अवस्था में निष्क्रिय पड़ीं रही और 19 कोयला खदानों के मामले में, खनन कार्य शुरू करने की नियत तारीख पहले ही समाप्त हो चुकी है। विलंब की वजहें, आवंटियों के नियंत्रण से बाहर थीं, उदाहरण के लिए, कानून-व्यवस्था के मुद्दे; पहले घोषित किए गए क्षेत्र की तुलना में वन के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी; भूमि अधिग्रहण के खिलाफ भूस्वामियों का प्रतिरोध; कोयला संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में भूगर्भीय अप्रत्याशित तथ्य। कोयला क्षेत्र, देश के लिए ऊर्जा

सुरक्षा की कुंजी है। अनुमोदन के तहत, अच्छी गुणवत्ता वाले कोयला ब्लॉक जिन्हें जल्दी आवंटित किया गया था, को फिर से काम लायक बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए तकनीकी कठिनाइयों को दूर किये जाने और सीमाओं को समायोजित किये जाने की जरूरत है। इसके बाद, इन्हें हाल ही में शुरू की गई वाणिज्यिक कोयला खदान नीतामी नीति के तहत इच्छुक पक्षों को दिया जा सकता है। कोयला ब्लॉकों के शीघ्र परिचालन से रोजगार मिलेगा, निवेश को बढ़ावा मिलेगा, देश के पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास में योगदान प्राप्त होगा, अदालती विवादों में कमी आएगी और व्यापार करने में आसानी को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे देश में कोयले के आयात में कमी आएगी।